pnb Housing Finance Limited

परिशिष्ट-IV-ए - अचल संपत्ति/यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की ई-नीलामी-बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः 9वी मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फ़ोनः 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालयः पीपी प्लाजा, 3री मंजिल, प्लॉट नंबर 177/1 और 175/1, सीसीएस यूनिवसिटी रोड, मेरठ-250004, उत्तर प्रदेश

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए ऋणधारक/गारंटर को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे उल्लिखित अचल संपत्ति/यां, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं, और जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्ज़ा (जैसा कि कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार "जैसा है जहाँ है, जो भी जैसा है और जो कुछ भी वहां है" के आधार पर बेचा जाएगा। एतद्द्वारा ऋणधारक/गिरवी रखने वाले/कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात हों या अज्ञात), निष्पादक, प्रशासक, संबंधित ऋण लेने वालों/गिरवी रखने वालों (जो अब मृतक हैं) के उत्तराधिकारी/हस्तांतरिती, जैसा भी मामला हो, जो कॉलम संख्या-ए में प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 9 के तहत दर्शाए गए हैं, उन्हें भी सूचित किया जाता है। बिक्री की शर्तों के लिए, कृपया मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.pnbhousing.com पर प्रदान की गई जानकारी देखें।

ऋण संख्या, ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम (ए)	मांगी गई राशि और दिनांक (बी)	कब्ज़े की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आर पी) (ई)	ईएमडी (आर पी का 10 प्रतिशत) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि दर (एच)	निरीक्षण की तिथि और समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/न्यायालय का मामला यदि कोई हो (के)
NHL/MEE/0723/1132808 & HOU/MEE/0423/1109418 दीपक गर्ग/मायावती, बी.ओ.: मेरठ	रु. 30,19,148.56 07.11.2024	भौतिक	एमपीएल नं. 2129, खसरा नं. 857 और 893, वार्ड नंबर 30, इंदिरा नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002	रु. 25,99,000	रु. 2,59,900	22.07.2025	रु. 10,000	11.07.2025 दोप. 1:00 बजे से दोप. 5.30 बजे तक	23.07.2025 दोपहर 2:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक	शून्य/ज्ञात नही

*लागू होने के अनुसार, 18% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक के आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के साथ। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सवोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, उपरोक्त अचल/सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में कथित के अलावा कोई अन्य भार/दावे नहीं हैं। ऐसे किसी भी अन्य भार का भुगतान सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाता से अनुरोध है कि वे उल्लिखित भार की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।

(1.) आज की तारीख तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालत का निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लिखित है। (2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष, यदि कोई हो, तो कॉलम संख्या-के में उल्लिखित कार्यवाही/आदेशों में दायर दलीलों का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं। इसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों के शीर्षक सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, सभी पहलुओं से खुद को संतुष्ट करना शामिल है, इससे पहले कि वे निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करें या प्रस्ताव दें। बोलीदाता को बोली फॉर्म के साथ इस नीलामी के नियम और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा।(3.) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के संदर्भ में, बोलीदाता/क्रेता बिक्री मूल्य की 25% राशि (धरोहर राशि सहित) उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक जमा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। सुरक्षित लेनदार द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही बिक्री बोलीदाता के पक्ष में पुष्टि की जा सकती है। बिक्री प्रतिफल राशि का शेष 75% क्रेता को बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा और ऐसे जमा में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री पुष्टि पत्र में उल्लिखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिक्री प्रतिफल राशि के आंशिक भुगतान को जब्त कर लेगा और सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। (4.) मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003, वेबसाइट - www.bankeauctions.com में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ, ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री आयोजित करने में अधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा।

संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको श्री आशीष शर्मा, टोल फ्रीः 1800 120 8800, ईमेलः auction@pnbhousing.com, जो पीएनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति हैं, से समन्वय स्थापित करना होगा या www.pnbhousing.com देखें।

स्थानः- जालंधर, दिनांकः- 08.07.2025

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंसलिमिटेड

शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 501, सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110025 एवं शाखा कार्यालय : शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, नोएडा सेक्टर 18, उत्तर प्रदेश 201301

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी सह बिक्री की सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु खुली नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा सामान्य रूप से जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने रचनात्मक कब्जा कर लिया है, 1. आलोक कुमार (कर्जदार) निवासी मकान नं. ग्राम सलारपुर भंगेल नोएडा उत्तर प्रदेश 201301 2. मीना (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी मकान नं. ग्राम सलारपुर भंगेल नोएडा उत्तर प्रदेश 201301 3. प्रवेश कुमार (जमानती) निवासी मकान नं. ग्राम सलारपुर भंगेल नोएडा उत्तर प्रदेश 201301 से शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के 13.01.2025 तक बकाया रु. 17,90,000/- (रुपये सत्रह लाख नब्बे हजार मात्र) तथा ब्याज एवं उसके पश्चात प्रभार की वसूली हेतु बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर 23 जुलाई, 2025 को की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि आरक्षित राशि का 10% अर्थात रु. 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) होगी, बाद वाली राशि बैंक के पास 22-07-2025 को 5 बजे अप. तक जमा करनी होगी जिसके विवरण निम्नलिखित हैं :

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.)
1. आलोक कुमार (कर्जदार) निवासी मकान नं. ग्राम सलारपुर भंगेल नोएडा उत्तर प्रदेश 201301 2. मीना (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी मकान नं. ग्राम सलारपुर भंगेल नोएडा उत्तर प्रदेश 201301 3. प्रवेश कुमार (जमानती) निवासी मकान नं. ग्राम सलारपुर भंगेल नोएडा उत्तर प्रदेश 201301 (ऋण खाता संख्या 100741003537)	13-01-2025 रु. 17,90,000/- (रुपये सत्रह लाख नब्बे हजार मात्र)	अचल संपत्ति का समस्त भागः आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर, प्लॉट संख्या 121 बी, खेत संख्या 92, गांव गूजरपुर ब्लॉक सी दानकुर तहसील जी.बी. नगर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित। राजस्व अभिलेखों में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 14579, सीरियल क्रमांक 30102, पृष्ठ संख्या 27-40 दिनांक 02-12-2013 को पंजीकृत। संपत्ति मीना के नाम पर पंजीकृत है।	रु. 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र)	आरक्षित राशि का 10% अर्थात रु. 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र)

अचल सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि : 21 जुलाई, 2025, 1100 बजे – 1500 बजे

नीलामी की तिथि तथा संविदा खुलने की तिथि : 23 जुलाई, 2025 को 10:00 बजे से 12:00 बजे

प्रस्ताव/ज.ध.रा. जमा करने की अन्तिम तिथि : 22 जुलाई, 2025 को 5.00 बजे अपराह्न तक

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **https://shivalikbank.com/auctlon_of_bank_properties.php** में प्रावधानित लिंक देखें।

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें :

(1) सम्पत्ति की बिक्री "जहां है जैसे है, जो कुछ भी है वहीं तथा आश्रयरहित आधार" पर बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के की जा रही है।

(2) सम्पत्ति/दस्तावेजों का निरीक्षण बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के साथ उपर्युक्त तिथि एवं समय पर किया जा सकता है।

(3) विक्रय के सभी सामान्य नियम एवं शर्तों सहित संविदा दस्तावेज/प्रपत्र ऊपर उल्लिखित बैंक के शाखा कार्यालय से कार्यालयी अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधिकृत प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक संविदाकारों को अपनी मुहरबन्द संविदाएँ निर्धारित संविदा प्रारूप में बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजनी हैं।

(4) संविदा मुहरबन्द लिफाफे में जिस पर नीलामी सम्पत्ति हेतु संविदा उल्लिखित करते हुए तथा इसके साथ "शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में आहरित नोएडा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ज.ध.रा. (जो संविदा राशि का 10% होगा) बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर 22 जुलाई, 2025 को 5.00 बजे अप. तक जमा करनी है। जो संविदाएँ भरी नहीं गयी हैं अथवा अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होती हैं उन्हें अवैध संविदा माना जायेगा और तदनुसार उसे निरस्त कर दिया जायेगा। प्रदत्त ज.ध.रा. पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। संविदाकार द्वारा एक बार संविदा जमा करने के उपरान्त इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

(5) मुहरबन्द संविदाएँ 23 जुलाई, 2025 को 10.00 बजे-12.00 बजे तक बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर उस समय उपस्थित संविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी और इसके पश्चात पात्र संविदाकारों को अधिकृत प्राधिकारी के विशेषाधिकार पर प्रस्ताव मूल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक संविदा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।

(6) जमा किया जाने वाला संविदा मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होगा तथा संविदाकार रु. 50,000/- के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे। सम्पत्ति अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी।

(7) सफल संविदाकारों को विक्रय मूल्य का 25% (ज.ध.रा. शामिल) तुरन्त या अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस तक शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में आहरित, नोएडा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा और सफल संविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की शेष राशि कम्पनी द्वारा विक्रय सुनिश्चित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक संविदाकारों द्वारा प्रदत्त ज.ध.रा. तथा विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल संविदाकार विक्रय की शर्तों का अनुपालन करने में असफल होता है या कोई चूक करता है तो ज.ध.रा. अथवा 25% की जमा, जैसा मामला हो, बैंक द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(8) बैंक प्रस्तावित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्रचलित कानून से किसी अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रापण करने अथवा बकाया पानी/बिजली की देयताओं, सम्पत्ति कर अथवा अन्य प्रभारों, यदि कोई हो, जैसे अन्य बकायों के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है।

(9) सफल संविदाकार किसी विकास प्राधिकरण के लम्बित बकायों, यदि कोई हो/नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एजेन्सी के करों/यूटिलिटी बिलों तथा 'विक्रय प्रमाणपत्र' के पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित समस्त व्ययों का वहन करेगा।

(10) अधिकृत प्राधिकारी को कोई या सभी प्रस्ताव/संविदाएँ स्वीकार करने या निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण बताए विक्रय को आस्थगित करने/निरस्त करने या बिना किसी पूर्व सूचना के विक्रय की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार एवं विशेषाधिकार है।

(11) एक बार लगाई गयी बोली को निरस्त या वापस नहीं किया जा सकता है।

(12) अपने पूर्ण ज्ञान एवं सूचना के आधार पर बैंक को छोड़कर विक्रय की जा रही सम्पत्ति पर किसी प्रकार के ऋणभार की बैंक को जानकारी नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी स्वयं की सन्तुष्टि के लिए सम्पत्ति का अपना निजी आकलन कर लेना चाहिए। बैंक उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्तता/स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं लेता है या कोई प्रतिनिधान नहीं करता है। किसी अन्य सूचना के लिए अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, सम्पत्ति कर या सरकारी अथवा किसी अन्य निकाय के किसी अन्य बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। एतद्वारा कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को विक्रय के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की सूचना दी जाती है और वे विक्रय के नियम एवं शर्तों के विवरण के अनुसार ऊपर वर्णित अचल सम्पत्ति की खरीद हेतु इच्छुक क्रेता/खरीददार ला सकते हैं।

(13) अचल सम्पत्ति का विक्रय उच्चतम बोलीदाता को किया जायेगा। किन्तु यदि अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक प्रतीत हो तो उन्हें पारस्परिक बोली की अनुमति देने का निरपेक्ष विशेषाधिकार है।

(14) बैंक सम्पत्ति के किसी ऐसे दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं है जो कर्जदाता कम्पनी के संज्ञान में नहीं है।

(15) कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को एतद्वारा पूर्ण रूप से बकाया अदा करने के लिए तथा इस सूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज एवं व्ययों सहित बकाये का भुगतान करने के लिए सरफैसी अधिनियम के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिन की सूचना दी जाती है जिसमें असफल होने पर प्रतिभूत आस्ति का विक्रय उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा। यदि विक्रय सूचना के अंग्रेजी तथा मातृभाषा के समाचार-पत्रों में प्रकाशन के बीच कोई असंगति पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार पत्र को मातृभाषा के समाचार पत्र की तुलना में वरीयता दी जायेगी और इसे अन्तिम प्रति माना जायेगा इस प्रकार कोई अस्पष्टता दूर हो जायेगी। यदि कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता विक्रय की तिथि से पूर्व कम्पनी के सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी रोक दी जायेगी। किन्तु ऐसे मामलों में सूचना में बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार यथाप्रयोज्य भावी ब्याज वसूल किया जायेगा तथा इस वसूली तक आकस्मिक व्यय, लागतें आदि बकाया तथा देय होंगी।

(16) अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी और प्रश्नचिह्न रहित है। यह माना जायेगा कि संविदा जमा करने वाले सभी संविदाकार ने बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उसे बँधा हुआ है।

(17) अधिक विवरण के लिए संभावित संविदाकार श्री सिद्धार्थ सिन्हा, संपर्क नं. 9811864937 से सम्पर्क कर सकते हैं।

1. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूत ऋणदाता, बैंक सभी कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं को उनके पते पर ढडरळ द्वारा बिक्री नोटिस जारी करने जा रहा है। यदि किसी भी पक्ष को यह प्राप्त नहीं हुआ है, तो बिक्री नोटिस के इस प्रकाशन को सेवा का प्रतिस्थापित तरीका माना जाए।
2. कर्जदार/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपनी घरेलू वस्तुएँ, यदि कोई हो, जो उपर्युक्त परिसर में/बैंक के संरक्षण में है, पूर्व अनुमति लेकर निकाल लें, जिसमें असफल रहने पर इस विषय में बैंक का कोई दायित्व/उत्तरदायित्व नहीं होगा और इसे कर्जदार/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के जोखिम पर निस्तारित कर दिया जायेगा और बकायों के प्रति बिक्री कार्यवाही में समायोजित कर दिया जायेगा।
3. यदि किसी भी कारण से नीलामी असफल हो जाती है तो कम्पनी सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत मैंडेटेड प्रावधानों के अनुसार निजी सन्धि के माध्यम से उपर्युक्त बंधक सम्पत्ति/यों को बेचने के लिए स्वतन्त्र होगी।

तिथि : 04.07.2025, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व का जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक हुए प्रयोज्य दर भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित नाम के सम्मुख उल्लिखित राशि तथा उस पर कथित सूचना में उल्लिखित दर पर प्रयोज्य ब्याज एवं भुगतान तथा/अथवा वसूली तक आकस्मिक व्यय, लागतों, प्रभारों आदि का भुगतान करने को कहते हुए कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को मांग सूचना जारी की थी।

क्र. सं.	ऋण सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता	13(2) की सूचना तिथि/तिथि तक बकाया राशि (रु. में)	कब्जे की तिथि/समय तथा प्रकार
1	46128640000014	1) श्री इरशाद (कर्जदार), 2) श्रीमती महजबी (सह-आवेदक)	22-04-2025 रु.23,23,938.46 (रुपये तेईस लाख तेईस हजार नौ सौ अड़तीस और छियालीस पैसे मात्र) 20-04-2025 तक	दिनांकः 04.07.2025 समयः 12:37 अप. सांकेतिक कब्जा

संपत्ति का विवरणः संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति का समस्त भाग, खसरा संख्या 3462 पर स्थित एक मकान, जिसका क्षेत्रफल 104 वर्ग गज यानी 86.95 वर्ग मीटर है, जो न्यू इस्लाम नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002 में स्थित है। श्री इरशाद, पत्नी श्री अब्दुल बारी के स्वामित्व में। सीमाः उत्तरः रियाजुद्दीन का घर, दक्षिणः जैनुर का घर, पूर्वः नौशाद का घर, पश्चिमः 15 फीट चौड़ा रास्ता

जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां ऊपर उल्लिखित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया है। जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा उपर्युक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और उपर्युक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ कोई संव्यवहार जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थान : मेरठ

तिथि : 08.07.2025

ह./- अधिकृत प्राधिकारी
जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोम्लूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071। **शाखा कार्यालयः** जी-01, ग्राउंड फ्लोर, साइबर हाइट्स, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010.

इंडियन बैंक Indian Bank

कॉ. का. : निवेशक सेवाएं कक्ष 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 14

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र कथित रूप से गुम हो गए हैं, खो गए हैं या चोरी हो गए हैं तथा उनके पंजीकृत धारक/दावेदारों ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बैंक को आवेदन किया है:

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	फोलियो सं.	शेयरों की संख्या	प्रमाण पत्र सं.	विशिष्ट सं. से	विशिष्ट सं. तक
1.	महेश कुमार	33109	57	33124	609619542	609619598
2.	चंदन बारिक जेटी1: मोनोरामा बारिक (दिवंगत) जेटी2: रूप कुमार बारिक (दिवंगत)	10779	11	10794	608956916	608956926
3.	रूप कुमार बारिक (दिवंगत) जेटी1: मोनोरामा बारिक (दिवंगत) जेटी2: चंदन बारिक	10794	11	10809	608957081	608957091
4.	मोनोरामा बारिक (दिवंगत) जेटी1: चंदन बारिक जेटी2: रूप कुमार बारिक (दिवंगत)	10795	11	10810	608957092	608957102
5.	रमेश प्रसाद	19783	34	19798	609110014	609110047
6.	हरजीत सिंह	27166	34	27181	609360551	609360584
7.	जय शंकर प्रसाद मिश्र	29074	46	29089	609428785	609428830
8.	अवधेश कुमार बाथम	22956	34	22971	609217760	609217793
9.	उषा कश्यप	22957	34	22972	609217794	609217827
10.	राम सूरत पाल	27783	34	27798	609381380	609381413
11.	रितु सिंह	36976	57	36991	609839677	609839733
12.	बसंत बत्रा	23535	34	23550	609237389	609237422
13.	अशोक कुमार पाण्डेय	20896	34	20911	609147789	609147822
14.	रानी भटीजा	19151	23	19166	609089044	609089066

कोई भी व्यक्ति(यों) जिनके पास इन शेयर प्रमाणपत्रों से संबंधित कोई दावा है, तो वे इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ऐसे दावा(वों) को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड को **investor@cameoindia.com** पर ईमेल कर सकते हैं, इसके उपरांत इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और रजिस्ट्रार द्वारा डुप्लिकेट शेयर जारी करने की कार्यवाई आरंभ की जाएगी।

कृते इंडियन बैंक

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 07.07.2025

दीना नाथ कुमार
सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

टीसीडीएआईसीएल
महाप्रित तथा ठाणे महानगर पालिका की एसपीवी
(म. फु. मा. वि. म. की उप कंपनी, महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम)
MAHAPREIT

अर्हता तथा प्रस्ताव के हेतु अनुरोध आमंत्रण की सूचना

टीसीडीएआईसीएल (एसपीवी) ठाणे स्थित कोपरी में नागरी नवीकरण योजना के अंतर्गत समूह विकास परियोजना के कार्यान्वयन के हेतु तथा विकासक की नियुक्ति के लिए अर्हता तथा प्रस्ताव के हेतु अनुरोध निर्माण एवं विकास एजेन्सी (C&DA) के माध्यम से पीपीपी आधार पर आमंत्रित करते हैं। निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि **07/08/2025** है।

क्लस्टर, आरएफक्यू तथा प्रस्तावों की जानकारी **https://tcdaic.in/tcweb/tenders** तथा **https://mahapreit.in/** पर देखी जा सकती है और **https://mahatenders.gov.in** पर प्रस्तुत की जा सकती है।

निदेशक (तकनिकी) टीसीडीएआईसीएल

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, सैक्टर-62 शाखा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता- श्री अशोक रॉय पुत्र श्री जोगिंदर राय (उधारकर्ता-बंधककर्ता) फ्लैट सं. 110ए, भूतल, ब्लॉक एसके सेक्टर-122, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर यूपी-201301 (संपत्ति का पता)** को मांग सूचना दिनांक **23.04.2025** को जारी किया था जिसमें मांग सूचना में उल्लेखित राशि रु. **5,94,343.18** (रु. पाँच लाख चौरान्वे हजार तीन सौ तैतालीस और पैसे अट्ठारह मात्र) दिनांक 23.04.2025 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **05.07.2025** को लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-62 नोएडा शाखा, बी-32, सेक्टर 62, नोएडा, यूपी-201301** के प्रभार वास्ते रु. **5,94,343.18** (रु. पाँच लाख चौरान्वे हजार तीन सौ तैतालीस और पैसे अट्ठारह मात्र) दिनांक 23.04.2025 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 110 ए, भूतल, ब्लॉक एसके, सेक्टर-122, नोएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर यूपी-201301, क्षेत्रफल 28.19 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री अशोक रॉय पुत्र श्री जोगिंदर सिंह (उधारकर्ता-बंधककर्ता) के नाम पर है। सीमाएंः उत्तर-पूर्वः फ्लैट नं. 111ए, दक्षिण-पूर्व - अन्य व्यक्ति का फ्लैट, उत्तर-पश्चिमः प्रवेश द्वार, दक्षिण-पश्चिमः फ्लैट नंबर 109ए

दिनांक : 05-07-2025, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307

परिशिष्ट-IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया, सैक्टर-62 शाखा,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता- श्रीमती रंजीता श्रीवास्तव पत्नी आशुतोष कुमार (उधारकर्ता-बंधककर्ता श्री आशुतोष कुमार पुत्र शिव शंकर लाल श्रीवास्तव (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) 1947 भागीरथी टॉवर, महागुनपुरम, महरौल, गाजियाबाद यूपी-201009 (संपत्ति का पता)** को मांग सूचना दिनांक **10.02.2025** को जारी किया था जिसमें मांग सूचना में उल्लेखित राशि रु. **31,67,689.00** (रु. इकतीस लाख सड़सठ हजार छह सौ नवासी मात्र) दिनांक 10.02.2025 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **05.07.2025** को लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-62 नोएडा शाखा, बी-32, सेक्टर 62, नोएडा, यूपी-201301** के प्रभार वास्ते रु. **31,67,689.00** (रु. इकतीस लाख सड़सठ हजार छह सौ नवासी मात्र) दिनांक 10.02.2025 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 1947, 19वीं मंजिल, ब्लॉक भागीरथी, एचआईजी-2, महागुनपुरम, एनएच-24, महरौली, जिला-गाजियाबाद यूपी-201009, सुपर एरिया- 120.77 वर्ग मी., निर्मित क्षेत्र- 99.44 वर्ग मी., संयुक्त रूप से श्रीमती रंजीता श्रीवास्तव पत्नी आशुतोष कुमार और श्री आशुतोष कुमार पुत्र शिव शंकर लाल श्रीवास्तव (उधारकर्ता-बंधककर्ता) के नाम पर है। सीमाएंः पूर्वः एनएच-24, पश्चिमः ग्रीन बेल्ट, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः अन्य की संपत्ति

दिनांक : 05-07-2025, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS
FINANCIAL EXPRESS

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत मेगा ई-नीलामी दिनांक 28.07.2025

क्षेत्रीय कार्यालयः
भवन संख्या 80, प्रथम तल, बीएसएनएल कार्यालय के पास, तेजगढ़ी चौराहा, मेरठ -250005। फोन नं0 0121-2761701, 2761701, 2762124

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभुतिकरण एवं पुननिर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नं. 54/2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की बिक्री। जबकि इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **SARFAESI** अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किया गया तथा उसके बाद निम्नांकित प्रभारित/बन्धक सम्पत्ति को उक्त अधिनियम के तहत सम्पत्ति का कब्जा ले लिया गया था और यहां नीचे दर्शायी गयी सम्पत्ति की बिक्री हेतु **"जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर"** उक्त अधिनियम की धारा 13(4) में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **(https://www.baanknet.com).** द्वारा करायी जायेगी।

क्रम सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम	बैंक बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	(E.M.D.) राशि	संपर्क के लिए शाखा का विवरण
1.	अलीगढ	मैसर्स गुरु गोबिंद सिंह शीट इन	रू0 38,96,039.00 दिनांक 30.06.2025 तक	(दोनों खातों में कॉमन संपत्ति) आवासीय मकान संपत्ति, नगर निगम संख्या 10/285, क्षेत्रफल 104 वर्गमीटर, स्थित मौहल्ला खटीकान, दिल्ली गेट, परगना, अलीगढ।	रू0 56.00 लाख (प्लस लागू कर)	रू0 5,60,000.00 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक, 13/6 नॉवेल्टी टॉकीज के पास जीटी रोड अलीगढ (यूपी)-202001 श्री रविन्द्र कुमार सिंह मोबाइल नं.9871760040
2.	अलीगढ	अनु मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स	रू0 13,85,562.52 दिनांक 30.06.2025 तक				
3.	अलीगढ	लज्जा रानी मदन लाल	रू0 32,38,917.53 दिनांक 30.06.2025 तक	ई.एम. डबल मंजिला आवासीय मकान संपत्ति, खसरा संख्या 3728 का भाग, स्थित कस्बा कोइल II, सराय हरनारायण, गली पीएनबी के पास, परगना और तहसील कोइल, अलीगढ (यूपी)।	रू0 18.00 लाख (प्लस लागू कर)	रू0 1,80,000.00 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक, 13/6 नॉवेल्टी टॉकीज के पास जीटी रोड अलीगढ (यूपी) श्री रविन्द्र कुमार सिंह मोबाइल नं. 9871760040
4.	बरेली मेन	फय्याजुद्दीन	रू0 31,35,316.50 दिनांक 30.06.2025 तक	आवासीय संपत्ति 167.21 वर्ग मीटर की, स्थित खसरा संख्या 856 का भाग ग्राम सुरखा छावनी, बहार चुंगी (हार्टमैन क्रॉसिंग से कोडसिया क्रॉसिंग पूर्वी भाग), बरेली	रू0 20.93 लाख (प्लस लागू कर)	रू0 2,09,300.00 (बोली गुणांक रु. 25000)	आईओबी, बरेली शाखा, 116 ए, सिविल लाइंस, बरेली श्री वैभव गुप्ता मोबाइल 9792727222
5.	बुलंदशहर	आयशा स्टील सेफ	रू0 17,72,775.43 दिनांक 30.06.2025 तक	ई.एम. आवासीय संपत्ति (02 शीर्षक विलेख), स्थित मकान नंबर 415, वार्ड नंबर 34, मौहल्ला सराय धारी, परगना बारां, जिला बुलंदशहर (यूपी)	रू0 32.03 लाख (प्लस लागू कर)	रू0 3,20,300.00 (बोली गुणांक रु. 25000)	आईओबी, बुलंदशहर शाखा, 5/3 अंसारी रोड, बुलंदशहर (यूपी) 203001 मोबाइल नंबर 8451955087
6.	घाट	मुकेश कुमार गोयल, बबीता गोयल	रू0 20,04,319.57 दिनांक 30.06.2025 तक	आवासीय फ्लैट नंबर ए-326, ब्लॉक-ए, पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद - 201001	रु. 16.38 लाख (प्लस लागू कर)	रु. 1,63,800.00 (बोली गुणांक रु. 25,000)	घाट शाखा, ग्राम-घाट, दिल्ली रुड़की हाईवे पोस्ट-पांचली घाट 250002 यू.पी. श्री रंजीत सिंह मोबाइल 7017139406
7.	मुरादाबाद मेन	राजीव कुमार सुनील श्रीवास्तव	रू0 14,27,798.48 दिनांक 30.06.2025 तक	ई.एम. दुकान संपत्ति स्थित दुकान नं. 7 बेसमेंट, शिवम कॉम्प्लेक्स, नवीन नगर, मुरादाबाद (यूपी)।	रू0 14.05 लाख (प्लस लागू कर)	रू0 1,40,500.00 (बोली गुणांक रु. 25000)	आईओबी, मुरादाबाद, स्टेशन रोड, मुरादाबाद (यूपी)-244001. मोबाइल नं. 9565117081
8.	सहारनपुर मेन	प्रीतम सिंह सुशीला देवी	रू0 38,88,767.26 दिनांक 30.06.2025 तक	ई.एम. भूमि एवं भवन, एमपीएल संख्या एल.पी.109, प्लॉट संख्या 1 के पश्चिमी भाग पर निर्मित खसरा संख्या 86/1, लक्ष्मी पुरम कॉलोनी, गलीरा रोड, सेंट मैरी स्कूल के पीछे, सहारनपुर (यू.पी.)	रू0 48.00 लाख (प्लस लागू कर)	रू0 4,80,000.00 (बोली गुणांक रु. 25000)	आईओबी सहारनपुर मैन शाखा, क्लॉक टॉवर भगत सिंह मार्ग, सहारनपुर उत्तर प्रदेश सम्पर्क मोबाइल 8925950434

नियम व शर्तें :- ई-नीलामी की तिथिः 28.07.2025 ई-नीलामी का समय प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक बिक्री के दस मिनट तक ऑटो विस्तार के साथ। ईएमडी 27.07.2025 (शाम 5.00 बजे) तक जमा कि जा सकती है

1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर" की जा रही है। **प्रतीकात्मक अधिकार के तहत सभी संपत्ति।**
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं हैं। स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि (सम्पत्ति टैक्स, पानी, सीवेज, विधुत बिल आदि):- बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जायेगा हालांकि प्रत्याशित बोलीदाता को अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों तथा इस सम्पत्ति के संबंध में दावे/अधिकार/बकाया के संबंध व स्वयं स्वतंत्र जांच करवा लें। बोली जमा करवाने से पूर्व सम्पत्ति व विनिर्देशन के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवारी बोलीदारों की होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 16.07.2025 व 17.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे के बीच (बैंक से पूर्व नियुक्ति के साथ) कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ई.एम.डी. जमा की है, लोगिन आई.डी., पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बिड जमा करने तथा ई-ऑक्शन पर पर ऑनलाईन बिडिंग हेतु इच्छुक बोलीदाता, सर्विस प्रदाता **(https://www.baanknet.com)**

नीलामी की विस्तृत विवरण नियम और शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **https://www.baanknet.com** और बोलीदाता पंजीकरण के लिए **https://www.baanknet.com** पर जाएं।

इसे **U/r 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules,** 2002 के अन्तर्गत तिथि को की जा रही उक्त ई-ऑक्शन बिक्री के संबंध में निम्नलिखित कथित ऋण के अन्तर्गत ऋणियों/गारंटरों को 15 दिन का वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांकः- 08.07.2025 स्थान - मेरठ

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक